न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन भूअभिलेख अधिकारी श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री सुभाष चन्द्र {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या : 269/2023

वादी	बनाम	प्रतिवादी
1. साधू सिंह पुत्र गुरदीप सिंह जाति जटसिख निवासी 1 एक्स तहसील श्रीकरणपुर।		1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीकरणपुर

तारीख रजू:– 21.08.2023

उपस्थितः स्वंय वादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

—निर्णय— दिनांक : 21.08.2023

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के द्वारा वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम 1 एक्स, पटवार हल्का 2 एक्स, भू.अ.नि. क्षेत्र धनूर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075–78 के खाता संख्या 197/178 के मुरब्बा नम्बर 87 के किला नम्बर 14/2 की 0.126 हैक्टेयर, किला नम्बर 17/1 की 0.126 हैक्टेयर, किला नम्बर 24/2 की 0.127 हैक्टेयर भूमि की किस्म बारानी बारानी दर्ज है। जबकि उक्त रकबा पूर्व के राजस्व रिकॉर्ड में नहरी दर्ज है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर अर्ज है कि राजस्व ग्राम 1 एक्स, पटवार हल्का 2 एक्स, भू.अ.नि. क्षेत्र धनूर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075–78 के खाता संख्या 197/178 के मुरब्बा नम्बर 87 के किला नम्बर 14/2 की 0.126 हैक्टेयर, किला नम्बर 17/1 की 0.126 हैक्टेयर, किला नम्बर 24/2 की 0.127 हैक्टेयर बारानी भूमि को नहरी दर्ज किए जाने के आदेश दिए जावे।

उक्त प्रकरण के संबध में तहसीलदार श्रीकरणपुर के पंत्राक 66 दिनांक 20.07.2023 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। तहसीलदार श्रीकरणपुर की रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 88 में दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार श्रीकरणपुर की रिपोर्ट मुताबिक जमाबंदी सम्वत 2075 ता 78 में चक 1 एक्स के खाता संख्या 197/178 के मुरब्बा नम्बर 87 के किला नम्बर 14/2 की 0.126 हैक्टेयर बारानी, किला नम्बर 15/1 की 0.177 हैक्टेयर नहरी, किला नम्बर 16 की 0.228 हैक्टेयर, किला नम्बर 17/1 की 0.126 हैक्टेयर बारानी, किला नम्बर 24/2 की 0.127 हैक्टेयर बारानी किला नम्बर 25 की 0.228 हैक्टेयर नहरी कुल 0.379 हैक्टेयर बारानी व 0.633 हैक्टेयर नहरी भूमि साधू सिंह पुत्र गुरदीप सिंह जाति जटसिख के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। अधिशाषी अभियंता तृतीय जल संसाधन खण्ड रायसिंहनगर मुख्यालय श्रीगंगानगर के पंत्राक 87 दिनांक 21.04.2023 के अनुसार मुरब्बा नम्बर 111 नया 87 व सीसीए 7/2 ये तीनों नाम एक ही मुरब्बे के नम्बर है। एवं किला [illegible] प्रत्येक 0.228 हैक्टेयर व किला नम्बर 4, 7 प्रत्येक [illegible] हैक्टेयर [illegible] है तथा मौका पर पानी लग रहा है। चक 1 एक्स के मुरब्बा नम्बर [illegible] नया 7/2 नहरी विभाग में सी.सी.ए. के अनुसार [illegible] सी.सी.ए. [illegible] उस वक्त से आज तक नहरी पानी से सिंचाई हो रही है। [illegible] 126 हैक्टेयर, किला नम्बर 17/1 में 0.126 हैक्टेयर [illegible] 24/2 में 0.127 हैक्टेयर कुल 0.379 हैक्टेयर भूमि को बारानी से नहरी किया जाना उचित है। जमाबन्दी सम्वत 2001 सन् 1944–45 के खेवट नम्बर 10 खतौनी नम्बर 42 में मुरब्बा नम्बर 111 के किला नम्बर 17 के 10 बिस्वा, किला नम्बर 24 के 10 बिस्वा, कमाण्ड नहरी दर्ज है। इसी प्रकार जमाबन्दी सम्वत 2014 ता 17 के खेवट

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.09.06 12:48:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

नम्बर 13 व खतौनी संख्या 71 के मुरब्बा नम्बर 111 के किला नम्बर 14 के 10 बिस्वा, किला नम्बर 17 के 10 बिस्वा, किला नम्बर 24 के 10 बिस्वा नहरी दर्ज है। उक्त जमाबन्दी के बाद भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा उक्त रकबा बारानी प्रथम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया गया है, जो आज दिनांक तक राजस्व रिकॉर्ड में बारानी दर्ज है। उक्त रकबा पर पानी की बारी चल रही है। राजस्व रिकॉर्ड में नहरी दर्ज किया जाना उचित है। इस प्रकार उक्त रकबा राजस्थान उपनिवेशन (गंगनहर क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एंव विक्रय) नियम 1956 से पूर्व का आवंटन है। अतः राज्य सरकार के राजस्व (उपनिवेशन) विभाग के आदेश क्रमांक 4–7(7) उप–2005/जयपुर दिनांक 25.08.2007 के अनुसार रकबा राजस्थान उपनिवेशन (गंगनहर क्षेत्र में राजकीय भूमि आवंटन एंव विक्रय) नियम 1956 से पूर्व का आवंटन पर अंतर राशि देय नहीं है। चक 1 एक्स के खाता संख्या 197/178 के मुरब्बा नम्बर 87 के किला नम्बर 14/2 की 0.126 हैक्टेयर, किला नम्बर 17/1 की 0.126 हैक्टेयर, किला नम्बर 24/2 की 0.127 हैक्टेयर बारानी भूमि को नहरी किया जाना उचित होगा।

बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया, वादपत्र वादी, शपथ पत्र, रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर का अध्ययन किया। वादी की बहस को सुनते हुए संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया। पत्रावली तथा इसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात यथा राजस्व ग्राम 1 एक्स, पटवार हल्का 2 एक्स, भू.अ.नि. क्षेत्र धनूर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075–78 के खाता संख्या 197/178 की प्रति, राजस्व ग्राम 1 एक्स, पटवार हल्का 2 एक्स, भू.अ.नि. क्षेत्र धनूर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075–78 के खाता संख्या 85/74 की प्रति, राजस्व ग्राम 1 एक्स, पटवार हल्का 2 एक्स, भू.अ.नि. क्षेत्र धनूर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075–78 के खाता संख्या 237/212 की प्रति, राजस्व ग्राम 1 एक्स, पटवार हल्का 2 एक्स, भू.अ.नि. क्षेत्र धनूर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075–78 के खाता संख्या 227/207 की प्रति, राजस्व ग्राम 1 एक्स, पटवार हल्का 2 एक्स, भू.अ.नि. क्षेत्र धनूर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075–78 के खाता संख्या 84/02 की प्रति, राजस्व ग्राम 1 एक्स, पटवार हल्का 2 एक्स, भू.अ.नि. क्षेत्र धनूर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075–78 के खाता संख्या 169/152 की प्रति, राजस्व ग्राम 1 एक्स, पटवार हल्का 2 एक्स, भू.अ.नि. क्षेत्र धनूर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075–78 के खाता संख्या 211/191 की प्रति, राजस्व ग्राम 1 एक्स, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2001 की खतौनी संख्या 42 की प्रति, राजस्व ग्राम 1 एक्स, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2014 ता 2017 की खतौनी संख्या 75 की प्रति, राजस्व ग्राम 1 एक्स, के मिसल बन्दोबस्त की प्रति, मिलान क्षेत्रफल की प्रति, पानी की पर्ची की प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है। वादी के द्वारा राजस्व ग्राम 1 एक्स, पटवार हल्का 2 एक्स, भू.अ.नि. क्षेत्र धनूर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075–78 के खाता संख्या 197/178 के मुरब्बा नम्बर 87 के किला नम्बर 14/2 की 0.126 हैक्टेयर, किला नम्बर 17/1 की 0.126 हैक्टेयर, किला नम्बर 24/2 की 0.127 हैक्टेयर भूमि को बारानी से नहरी दर्ज करवाने बाबत निवेदन किया है। रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर के अनुसार चक 1 एक्स के खाता संख्या 197/178 के मुरब्बा नम्बर 87 के किला नम्बर 14/2 की 0.126 हैक्टेयर बारानी, किला नम्बर 15/1 की 0.177 हैक्टेयर नहरी, किला नम्बर 16 की 0.228 हैक्टेयर, किला नम्बर 17/1 की 0.126 हैक्टेयर बारानी, किला नम्बर 24/2 की 0.127 हैक्टेयर बारानी किला नम्बर 25 की 0.228 हैक्टेयर नहरी कुल 0.379 हैक्टेयर बारानी व 0.633 हैक्टेयर नहरी भूमि साधू सिंह पुत्र गुरदीप सिंह जाति जटसिख के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। जमाबन्दी सम्वत 2001 सन् 1944–45 के खेवट नम्बर 10 खतौनी नम्बर 42 में मुरब्बा नम्बर 111 के किला नम्बर 17 के 10 बिस्वा, किला नम्बर 24 के

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.09.06 12:48:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

10 बिस्वा, कमाण्ड नहरी दर्ज है। इसी प्रकार जमाबन्दी सम्वत 2014 ता 17 के खेवट नम्बर 13 व खतौनी संख्या 71 के मुरब्बा नम्बर 111 के किला नम्बर 14 के 10 बिस्वा, किला नम्बर 17 के 10 बिस्वा, किला नम्बर 24 के 10 बिस्वा नहरी दर्ज है। उक्त जमाबन्दी के बाद भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा उक्त रकबा बारानी प्रथम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया गया है, जो आज दिनांक तक राजस्व रिकॉर्ड में बारानी दर्ज है। उक्त रकबा पर पानी की बारी चल रही है। राजस्व रिकॉर्ड में नहरी दर्ज किया जाना उचित है। इस प्रकार उक्त रकबा राजस्थान उपनिवेशन (गंगनहर क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एंव विक्रय) नियम 1956 से पूर्व का आवंटन है। अतः राज्य सरकार के राजस्व (उपनिवेशन) विभाग के आदेश क्रमांक 4–7(7) उप–2005/जयपुर दिनांक 25.08.2007 के अनुसार रकबा राजस्थाम उपनिवेशन (गंगनहर क्षेत्र में राजकीय भूमि आवंटन एंव विक्रय) नियम 1956 से पूर्व का आवंटन पर अंतर राशि देय नहीं है। चक 1 एक्स के खाता संख्या 197/178 के मुरब्बा नम्बर 87 के किला नम्बर 14/2 की 0.126 हैक्टेयर, किला नम्बर 17/1 की 0.126 हैक्टेयर, किला नम्बर 24/2 की 0.127 हैक्टेयर बारानी भूमि को नहरी किया जाना उचित होगा।

अधिशाषी अभिंयता तृतीय जल संसाधन खण्ड रायसिंहनगर मुख्यालय श्रीगंगानगर के पंत्राक 87 दिनांक 21.04.2023 के अनुसार मुरब्बा नम्बर 111 नया 87 व सीसीए 7/2 ये तीनों नाम एक ही मुरब्बे के नम्बर है। एवं किला नम्बर 5 ता 25 प्रत्येक 0.228 हैक्टेयर व किला नम्बर 4, 7 प्रत्येक 0.253 हैक्टेयर नहरी दर्ज है तथा मौका पर पानी लग रहा है। चक 1 एक्स के मुरब्बा नम्बर 111 पुराना 87 नया 7/2 नहरी विभाग में सी.सी.ए. के अनुसार जब से सी.सी.ए. बना है, उस वक्त से आज तक नहरी पानी से सिंचाई हो रही है। किला नम्बर 14/2 में 0. 126 हैक्टेयर, किला नम्बर 17/1 में 0.126 हैक्टेयर, किला नम्बर 24/2 में 0.127 हैक्टेयर कुल 0.379 हैक्टेयर भूमि को बारानी से नहरी किया जाना उचित है। अतः वाद पत्र वादी रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर, जल संसाधन विभाग उत्तरखण्ड रायसिंहनगर मुख्यालय श्रीगंगानगर की रिपोर्ट, वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात, के आधार पर स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

–:आदेश:–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, भली–भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 1 एक्स, पटवार हल्का 2 एक्स, भू.अ.नि. क्षेत्र धनूर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075–78 के खाता संख्या 197/178 के मुरब्बा नम्बर 87 के किला नम्बर 14/2 की 0.126 हैक्टेयर, किला नम्बर 17/1 की 0. 126 हैक्टेयर, किला नम्बर 24/2 की 0.127 हैक्टेयर भूमि को बारानी से नहरी दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते है। इस खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.09.06 12:48:24 IST
Reason: SelfAttested

(सुभाष चन्द्र)
सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

निर्णय आज दिनांक 21.08.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.))
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर
सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर
ब इजलास श्री सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)

साधू सिंह बनाम राजस्थान सरकार
धारा अन्तर्गत 88 आरटीए
मुकदमा नम्बर **269/2023**
निर्णय दिनांक :- 21.08.2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादी स्वंय उपस्थित होने पर** आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 1 एक्स, पटवार हल्का 2 एक्स, भू.अ.नि. क्षेत्र धनूर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075-78 के खाता संख्या 197/178 के मुरब्बा नम्बर 87 के किला नम्बर 14/2 की 0.126 हैक्टेयर, किला नम्बर 17/1 की 0.126 हैक्टेयर, किला नम्बर 24/2 की 0.127 हैक्टेयर भूमि को बारानी से नहरी दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते है। इस खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

आज दिनांक 17.08.2023 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर

मुददई	रूपया	पैसा	मुदायली	रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	00	00	स्टाम्प अरजी	00	--
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकील पर	00	--
योग	02	**00**	**योग**	**00**	**00**

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर

क्रमांकः रीडर/ 2023/444 दिनांकः 21.08.2023

प्रतिलिपिः तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर

उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.09.06 12:48:24 IST
Reason: SelfAttested